



काआसं.ईडी/ 11 /2021
सं.ईडी/एमडी/ 1140/16 भाग-13

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम
दिनांक:- 12/01/2021

कार्यालय आदेश

विषय :- स्वयं के अनुरोध (स्पाउंस ग्राउंड) पर अंतर रेलवे स्थानांतरण, चिकित्सा विभाग प्रकरण - श्रीमती शिखा डोंगरे, स्वास्थ्य निरीक्षक अधीन स्टे.प्रबंधक रतलाम (EnHM) मंडल (प.रे.) से भोपाल मंडल (प.म.रे.) ।

संदर्भ :- मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) भोपाल का पत्राक पमरे/का-भो/210/8/ अमंअरेस्था./मेडी/VII दिनांक 01.12.2020

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) भोपाल मंडल के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार श्रीमती शिखा डोंगरे, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक अधीन स्टेशन प्रबंधक रतलाम (EnHM) वेतनमान रू. 9300-34800+4200 GP (लेवल-6) रतलाम मंडल (प.रे.) से भोपाल मंडल (प.म.रे.) को निम्नतम वरियता पर स्वयं के अनुरोध (स्पाउंस ग्राउंड) पर भर्ती ग्रेड वे.मा.रू. 9300-34800+4200 GP (लेवल-6) में स्थानांतरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

तदानुसार श्रीमती शिखा डोंगरे, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक (लेवल-6) को भर्ती ग्रेड वेतनमान रू. 9300-34800+4200 GP (लेवल-6) में रतलाम मंडल (प.रे.) से भोपाल मंडल (प.म.रे.) को सक्षम अधिकारी (मंडल रेल प्रबंधक) के अनुमोदन पश्चात कर्मचारी को भोपाल मंडल हेतु शीघ्र कार्यमुक्त किया जाना है ।

कर्मचारी के पास यदि रेलवे आवास हो तो नियमानुसार खाली कराया जाये। कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ इस कार्यालय में भिजवाये ताकि इन्हे अग्रिम पदांकन आदेश हेतु मं.रे.प्र.(कार्मिक) भोपाल मंडल (प.म.रे.) के कार्यालय में भेजा जा सके। इन्हें स्थानांतरण पर मिलने वाली सुविधाएं देय नहीं है ।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते.मंडल रेल प्रबंधक (स्था.)रतलाम

प्रतिलिपि:-

वरिमंविप्रबं/मुचिअ /वरिमंचिअ(प्रशा)/वरि.मं.यां.इंजी.-रतलाम,

मं.रे.प्र.(स्था.) भोपाल मंडल प.म.रे.,कृपया सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित

स्टे.प्रबं.रतलाम (EnHM)-कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा विवरण के साथ व दो पासपोर्ट साईज फोटो ,पास-पीटीओ,छुट्टी विवरण ,वेतन भुगतान एवं अनुपस्थिति का विवरण देते हुए अवकाश पत्रक के साथ यथाशीघ्र कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को भेजे ।

मुकाअधी - वेतन ,गोपनीय,जेसी बैंक प्रबंधक - रतलाम. लिपिक-सेपु, पास, आवास, व्य.मिसल, वेवू, ईडी,

मंडल मंत्री- वेरेएयूनियन/वेरेमसंघ/ एससी/एसटी एसो./ओबीसी एसो.

उक्त आदेश e-समाधान एप पर उपलब्ध है ।